

**सचिव,  
प्रविधिक शिक्षा परिषद,  
राज्य प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या- प्रविण/परिषद, सम्प्रदा/2020/1921

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

**-आर्दीतम भाग-**

अहित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/सर्वोच्च कार्यालय क्षेत्र इण्डिया, पूर्व विभाग द्वारा सन् 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रविधिक शिक्षा परिषद, राज्य लखनऊ से सम्प्रदा/सम्प्रदा विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्रविधिक शिक्षा परिषद, राज्य लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यसभ्य में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सन् 2020-21 हेतु आर्दीतम नई संस्थाओं को सम्प्रदा/पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्प्रदा विस्तार/पारवकम/प्रवेश अथवा वृद्धि सहित अन्य मामों पर विचार करते हुए सन् 2020-21 हेतु सम्प्रदा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्प्रदा समिति की बैठक के मद्-2 में डिप्लोमा इन इजीट पाठ्यक्रम सम्बन्धित कर्मी वाली दूरी में सम्प्रदा संस्थाओं का सम्प्रदा रखा गया। सम्प्रदा समिति द्वारा सन् विचार-विमर्श कर विचार निर्णय लिए गये -

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इजीट पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्रविधिक शिक्षा परिषद, राज्य लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में एम्पाईसीटीआई द्वारा सन् 2020-21 हेतु सम्बद्ध अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एम्पाईसीटीआई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनका अन्य के सम्बन्धित अहित पाठ्यक्रम/पनेक अथवा के साथ सन् 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदा विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एम्पाईसीटीआई द्वारा सन् 2020-21 हेतु प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सन् 2020-21 हेतु सम्प्रदा विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-8-2020 को आयुक्त सम्प्रदा समिति की बैठक में किये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था जो प्रविधिक शिक्षा परिषद, राज्य लखनऊ द्वारा सन् 2020-21 हेतु निम्नलिखित ताली के अर्धीय पाठ्यक्रम एवं ताली अहित प्रदेश संस्था हेतु सम्प्रदा विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एम्पाईसीटीआई/द्वारा सन् 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश अथवा	परिषद द्वारा सन् 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश अथवा
1	2001	एन.ए. इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनियरी, एम-सुल्तानपुर-काशीकी जिल्ला	डिप्लोमा इन इजीट एम्पाईसीटीआई डिप्लोमा इन इजीट	80 80 150	80 80 150

**सम्प्रदा हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एम्पाईसीटीआई/डिप्लोमाआई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था सन् प्रवेश प्रविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सन् प्रविधिक शिक्षा परिषद चेनियनवाली 1992, चेनियन नियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आर्दीतम का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजीट पाठ्यक्रमों हेतु ₹20,00,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय परमेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹20,00,000/- प्रतिवर्ष एवं एक संस्था को वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय परमेसी पाठ्यक्रम के अर्धीय) हेतु ₹20,00,000 प्रतिवर्ष शुल्क है। प्रत्येक सन्/द्वारा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अर्धीयता द्वारा/अर्धीयों में शुल्क के सम्बन्ध में सम्प्रदा-समय पर सासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले आशावादीक प्रस्तावों को, और अनुपालन कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सन् 2020-21 हेतु प्रवेश का पुनर्विचार किया जाता है, तो प्रवेश की नवीनताएं एवं लागू करेगी।
- ✓ संस्था को प्रवेश प्रविधिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्प्रदा किया जाता। विनियमवाली-2016 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा अर्धीय द्वारा अर्धीय अर्धीय को ही प्रवेश दिया जावेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में प्रवेश प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

*(Handwritten Signature)*

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 90 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3334-APOLLO INSTITUTE OF TECHNOLOGY, VILL. SUNDHELA, BLOCK SARSAUL, KANPUR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021- 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150 00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश

**कार्यालय,****सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

**:-कार्यालय जाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 3334-APOLLO INSTITUTE OF TECHNOLOGY**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022- 23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	120	120

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये